(31)

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, धनबाद की अध्यक्षता में दिनाक 26.03.2017 को न्यु टाउन हॉल धनबाद में संपन्न धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपायुक्त–सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, धनबाद द्वारा माननीय सांसद प्रतिनिधि, माननीय विधायक प्रतिनिधि प्रमुखों एवं उप–प्रमुखों, मुखियाओं, उपमुखियाओं तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि हर गॉव में पेयजल उपलब्ध कराया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की निधि एवं सरकारी निधि से कराया जाना है।

उप विकास आयुक्त –सह– सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, धनबाद द्वारा उपस्थित सदस्यों को सर्वप्रथम ट्रस्ट में अबतक प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय से अवगत कराया गया। जानकारी दी गयी कि धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट को अबतक विभिन्न संस्थानों से रू0 324.567 करोड़ प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त राशि के विरूद्ध मुख्यतः व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं पर रू0 34.123 करोड़ रू0 व्यय किया गया है।

उप विकास आयुक्त –सह– सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, धनबाद द्वारा उपस्थित सदस्यों को आज के बैठक में रखे गये सभी प्रस्तावों से अवगत कराया गया तथा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया –

(1) तोपचांची प्रखंड के 6 पंचायतों को डी0एम0एफ0टी0 में शामिल करने हेतु प्रस्ताव–

माननीय सांसद श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा तोपचांची प्रखंड के खनन से प्रभावित पंचायतों यथा– (1) रामाकुण्डा (2) जीतपुर (3) हरिहरपुर (4) गेन्दनवाडीह (5) सिंहदाहा एवं (6) ब्राम्हणडीहा को डी0एफ0एफ0टी0 में शामिल करने के अनुशंसा प्राप्त है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में न्यास परिषद द्वारा तोपचांची प्रखंड के उक्त 6 पंचायतों को डी0एम0एफ0टी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(2) बलियापुर प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने का प्रस्ताव –

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0 2, धनबाद से बलियापुर प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने हेतु कुल 24644 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रास्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी कुल प्रस्तावित राशि 3143.588 लाख रू0 है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर से ग्राम सभा की प्रति प्राप्त है।

न्यास परिषद द्वारा बलियापुर प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(3) DMFT के तहत धनबाद नगर निगम से प्राप्त प्रस्ताव–

उपायुक्त–सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, धनबाद द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्व में नगर–निगम क्षेत्र, डी0एम0एफ0टी के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं था। झारखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली (संशोधित), 2016 के अनुसार अब नगर–निगम एवं नगर पंचायत चिरकुण्डा को भी डी0एम0एफ0टी0 में सम्मिलित कर लिया गया है।

Scanned by CamScanner

(40)

नगर आयुक्त, नगर निगम, धनबाद द्वारा दिनांक 08.02.2017 को नगर निगम बोर्ड की बैठक में पारित तथा दिनांक 25.02.2017 को डी0एम0एफ0टी0 के प्रबंधकीय समिति द्वारा पारित अनुमान्य योजना का प्रस्ताव न्यास परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया जो निम्नप्रकार है –

क्र0	योजना का नाम	अनुमानित राशि (करोड़ में)
1	नगर निगम क्षेत्र में 20 STP लगाने का अनुमोदन पर विचार (अनुमानित लागत 20.00 करोड़ एवं सालाना रख–रखाव 1.00 करोड़ रूपये)	20.00
	ठोस कचरा प्रबंधन के तहत निम्नलिखित उपकरणों का क्रय तथा अन्य क्रय	
2	5 Road Sweeping machine (अनुमानित लागत (30x5)=1.5 करोड़ रूपये)	1.50
3	6 Mini rubber trach excavator वाली सफाई मशीन (अनुमानित लागत (25x6)=1.5 करोड़ रूपये)	1.50
4	220 Mini Tipper कचड़ा उठाव के लिए (अनुमानित लागत (25x6)=1.5 करोड़ रूपये)	1.50
5	1100 Dustbin बड़ा वाला (अनुमानित लागत 4.4 करोड़ रूपये)	4.40
6	2 डम्फर एवं 1 हाइवा (अनुमानित लागत 1.2 करोड़ रूपये)	1.20
7	एक Super Succer Machine (अनुमानित लागत 1.5 करोड़ रूपये)	1.50
8	5 सक्शन मशीन (अनुमानित लागत (3x5)=1.5 करोड़ रूपये)	1.50
9	2 Car Toeing Vehicle एवं एक बड़ी Toeing गाड़ी (अनुमानित लागत 0.75 करोड़ रूपये)	0.75
10	6 Refuse Compactor (अनुमानित लागत (35x6)=1.9 करोड़ रूपये)	1.90
11	Golf Ground में Sports Facility का विकास (अनुमानित लागत 10 करोड़ एवं सालाना रख रखाव 1.5 करोड़)	10.00
12	हरेक वार्ड में ग्रीन जोन के लिए दो–दो पार्क का निर्माण करने पर विचार (अनुमानित लागत (1.5x55x2)=165 करोड़ एवं सालाना रख रखाव 1.5 करोड़)	165.00
13	100 community Toilets (अनुमानित लागत 10 करोड़)	10.00
14	100 e-toilets (अनुमानित लागत 6.5 करोड़)	6.50
15	सड़क किनारे ग्रीन पेच का डेवलपमेंट हरेक वार्ड के मुख्य सड़कों में करने पर विचार (अनुमानित लागत (55x1)=55 करोड़ रूपये)	55.00
	कुलः	282.25

इस संबंध में माननीय विधायक प्रतिनिधि, झरिया द्वारा क्रमांक– 1, 11, 12 एवं 15 पर अंकित योजनाओं के संबंध में पृच्छा की गयी कि क्या उक्त योजनाओं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर से आवंटन प्राप्त होता है या नहीं। क्रमांक 1,12 एवं 15 में वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन किस स्थल पर किया जायेगा इस हेतु स्थल चिन्हित नहीं है। उक्त योजनाओं को धरातल पर लाने हेतु नगर निगम के पास भूमि उपलब्ध नहीं है।

नगर आयुक्त, द्वारा बताया गया कि वर्णित योजनायें नगर निगम के बोर्ड की बैठक में पारित है तथा उक्त बैठक में माननीय सांसद / माननीय विधायक के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बताया गया कि नगर निगम के अधीन कुल 88 तालाब है जिसमें से 63 तालाबों में छठ पूजा किया जाता है। अधिकांश तालाबों में नाली/शौचालय का गंदा पानी गिरता है। तालाबों में गिरने वाले गंदे पानी को साफ करने हेतु Siverage Treatment Plant का अधिष्ठापन किया जाना है। इस हेतु Consultant बहाल किया जा चुका है। ऐसे तालाबों का सर्वेक्षण कार्य जारी है। राजेन्द्र सरोवर एवं लिलोरी स्थान में Siverage Treatment Plant के अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार से आवंटन प्राप्त हुआ है।

नगर आयुक्त, द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम द्वारा क्रमांक 1, 12 एवं 15 पर प्रस्तावित योजनायें पारित कर दी जाय विवाद रहित भूमि की उपलब्धता पर ही योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। सभी योजनायें जनहित की हैं तथा इससे धनबाद के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

Scanned by CamScanner

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि नगर निगम द्वारा प्रस्तावित योजनायें स्वच्छता से संबंधित योजनायें है तथा छोटी–छोटी STP की योजनायें जो तालाब के गंदे पानी के साफ–सफाई से संबंधित है, ली गयी है। क्रमांक 11 में वर्णित योजना जो गोल्फ ग्राउण्ड में स्पोर्टस फैसिलिटी के विकास से संबंधित है। इसे विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को भेजने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सभी योजनाओं को पारित किया जाय। योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्यतः स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का ही कार्यान्वयन कराया जाएगा।

नगर निगम, धनबाद द्वारा प्रस्तावित क्रमांक –11 में वर्णित योजना को छोड़कर शेष क्रमांक 1 से 10 तथा 12 से 15 में अंकित 14 योजनाओं की अनुमानित राशि 272.25 करोड़ रू0 को न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(3) कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित योजनायें –

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चिरकुण्डा के पत्रांक 307 दिनांक 24.03.2017 द्वारा नगर चिरकुण्डा नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में पारित तथा दिनांक 25.03.2017 को डी0एम0एफ0टी0 के प्रबंधकीय समिति द्वारा पारित योजना का प्रस्ताव न्यास परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया जो निम्नप्रकार है

क0	योजना का नाम	अनुमानित प्रा0 राशि (लाख में)
1	चिरकुण्डा नगर पंचायत अंतर्गत 01 अदद वॉस्केट क्रेन का क्रय	30.00
2	चिरकुण्डा नगर पंचायत अंतर्गत 02 अदद Truck Mounted road Sweeping machine का क्रय	100.00
3	चिरकुण्डा नगर पंचायत अंतर्गत 10 स्थानों पर पेयजल हेतु RO Plant & water treatment का क्रय	70.00
4	चिरकुण्डा नगर पंचायत अंतर्गत Car Toeing Vehicle का कय	20.00
5	चिरकुण्डा नगर पंचायत अंतर्गत 05 अदद सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	125.00
6	चिरकुण्डा नगर पंचायत क्षेत्र में बड़ा डस्टबिन का कय	200.00
	कुल	545.00

कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित सभी 6 योजनायें अनुमानित राशि 5.45 करोड़ की योजना को सर्वसम्मति से न्यास परिषद द्वारा पारित किया गया।

(5) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वचछता सं0 –2 से प्राप्त प्रस्ताव –

क्र0	प्रखंड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	धनबाद	Water Supply in Munidih Basti From newly constructed Dhobni ESR of Gopinathdih Rural Water Supply Scheme	16.683 lac
2	धनबाद	Inter connection of Raw Water Rising Main of Gopinathdih Rural Water Supply Scheme and Bhatinda Fall Rural Water Supply Scheme for Water Supply from Damodar River to Bardubhi & adjoining Villages	4.257 lac
3	तोपचांची	हरिहरपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुर्नगठन कार्य	77.04 lac
4	तोपचांची	तोपचांची ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुर्नगठन कार्य	2869.60 lac
5	बाघमारा	बाघमारा प्रखंड मुख्यालय एवं निकटवर्ती 65 ग्रामों में मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	9233.10 lac
		कुलः	12200.68 lac

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं– 2 से धनबाद, तोपचांची एवं बाघमारा प्रखंड में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित कुल 5 योजनायें जो ग्राम सभा से पारित है, कुल प्राक्कलित राशि 122.0068 करोड़ रू0 की योजनाओं को न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

Scanned by CamScanner

(6) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्र0 सं0 –1 से प्राप्त प्रस्ताव –

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	गोविन्दपुर, निरसा, कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड प्रखण्ड में सड़े राईजर पाईप बदलकर चापाकल मरम्मति का कार्य । 479 अदद	0.5652 crore
2	गोविन्दपुर, निरसा, कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड प्रखण्ड में विशेष मरम्मति हेतु चापाकल का अधिष्ठापन कार्य । 700 अदद	3.99 crore
3	चिरकुण्डा –कुमारधुबी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत संजय चौक से मैथन मोड़ तक Shifting of 450 MM dia pipeline (SWMS) बिछाने का कार्य।	8.80 Crore
4	एग्यारकुण्ड प्रखण्ड अन्तर्गत एग्यारकुण्ड पानी टंकी से गलफरबाड़ी मोड़ तक Shifting of 200 MM dia pipeline (CI) बिछाने का कार्य।	0.20 crore
5	गोविन्दपुर प्रखंड को खुले शौच से मुक्त (ODF Block) करने का कार्य। कुल 36755 अदद व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	46.80 crore
6	मैथन स्थित गोगना इन्टेकवेल से भेलाटांड जलशोध संस्थान तक 1000 एम0एम0 व्यास का Additional Pipeline (SWMS) बिछाने का कार्य।	140.00 Crore
	कुलः	200.3552 Crore

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं– 1 द्वारा प्रस्तावित कुल 6 योजनायें, कुल प्राक्कलित राशि 200.3552 करोड़ रू0 के विरूद्ध क्रमांक 6 पर अंकित योजना के ग्राम सभा नहीं होने के कारण उसे छोड़कर शेष क्रमांक 1 से 5 तक की योजनायें प्राक्कलित राशि – 60.3552 करोड़ की योजनाओं को ग्राम सभा के कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराने की शर्त पर न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(7) अन्यान्य –

माननीय सांसद प्रतिनिधि, धनबाद श्री हरि प्रकाश लाटा द्वारा पृच्छा की गयी कि डी0एम0एफ0टी0 की निधि से 1440.00 करोड़ का योजना पूर्व में ही पारित किया गया है तथा लगभग 325.00 करोड़ रू0 उपलब्ध है। उपलब्ध राशि के विरूद्ध 34.00 करोड़ रू0 का व्यय किया गया है तथा मात्र 13.31 करोड़ रू0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। पुनः और योजनायें पारित कराने का क्या औचित्य है।

इस संबंध में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व से उपायुक्त को एक करोड़ की योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त थी। तत्पश्चात उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0 357 दिनांक 03.02.2017 द्वारा एक करोड़ से अधिक एवं पॉच करोड़ तक की योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का शक्ति प्रबंधकीय समिति को प्राप्त हुआ है। 5.00 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित तकनिकी विभाग द्वारा अपने विभागीय योजनाओं के अनुरूप ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0 301 दिनांक 11.03.2015 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। डी0एम0एफ0टी0 के तहत 5.00 करोड़ से अधिक राशि की प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है एवं 5.00 करोड़ से कम प्राक्कलन की योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा।

माननीय विधायक, प्रतिनिधि, धनबाद द्वारा पूछा गया कि पूर्व के नगर निगम की बैठक में राजेन्द्र पार्क गोल्फ ग्राउण्ड के जिर्णोद्धार का कार्य डी0एम0एफ0टी0 के निधि से कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त पार्क का जिर्णोद्धार का कार्य डी0एम0एफ0टी0 की निधि से कराया जाय।

इसपर उपायुक्त–सह– अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पूर्व से निर्मित पार्क के जिर्णोद्धार पर डी0एम0एफ0टी0 की निधि खर्च नहीं की जायगी। पार्क का जिर्णोद्धार कार्य निगम के बोर्ड की बैठक से पारित कराकर नगर निगम की निधि से कराया जाय।

माननीय सांसद प्रतिनिधि, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि धनबाद जिले के कोयला आच्छादित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में भूगर्भीय जलस्तर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है फलस्वरूप उक्त क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। सर्वप्रथम डी0एम0एफ0टी0 की निधि से पेयजलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय तत्पश्चात अन्य योजनाओं पर राशि खर्च किया जाय।

बताया गया कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में लघु खनिजों से भी डी0एम0एफ0टी0 को अंशदान प्राप्त होना है। धनबाद जिले के टुण्डी एवं पूर्वी टुण्डी प्रखंड के बालू से पूरे जिले का सिविल कार्य होता है तथा ये दोनों प्रखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं इसलिए इन दोनों प्रखंडों को भी डी0एम0एफ0टी0 में शामिल करने की मांग की गयी।

Scanned by CamScanner

इसपर उपायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि डी0एम0एफ0टी0 के मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।

कतिपय जन प्रतिनिधियों द्वारा हेल्थ मिशन एवं पर्यावरण से संबंधित योजनाओं को भी डी0एम0एफ0टी0 की निधि से कार्यान्वयन कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति के लिए सरकार से आवंटन प्राप्त होता है। धनबाद में चिकित्सकों की कमी है डी0एम0एफ0टी0 की निधि से स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मति का कार्य नहीं किया जा सकता है।

डी0एम0एफ0टी0 के तहत शौचालय निर्माण हेतु दी गयी राशि का सही ढंग से खर्च करने का निदेश उपस्थित सभी मुखिया को दिया गया तथा यह भी निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण में कोई अनियमितता नहीं बरती जाय।

कुसमाटांड पंचायत, बलियापुर प्रखंड के मुखिया द्वारा बताया गया कि पंचायत में चापानल का पाईप जर्जर हो गया है इस संबंध में उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि 14वीं0 वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से पंचायत अंतर्गत खराब चापाकलों की मरम्मति करा ली जाय। कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल इस कार्य की मोनिटरिंग करेंगे।

उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि बी0सी0सी0एल0 के विभिन्न क्षेत्रों में खदान का पानी (Pit water) पाईप के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है। अगर इस पानी को पाईप लाईन के माध्यम से तालाब में डाला जाता तो बहुत हद तक इस गर्मी के मौसम में जल संकट से निजात पाया जा सकता है। उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे बी0सी0सी0एल0 के संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक से बैठक कर पीट वाटर को पाईप लाईन के माध्यम से तालाबों में पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक पहल करें।

बाघमारा विधायक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बाघमारा प्रखंड अन्तर्गत 61 पंचायत में पानी की घोर किल्लत है। बाघमारा प्रखंड अन्तर्गत 21 खदान हैं जिसमें पानी उपलब्ध है। अगर खदान का पानी फिल्टर कर आपूर्ति करने की योजना बनायी जाय तो बाघमारा क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0 –2 द्वारा बताया गया कि 21 खदानों में से 4 खदानो का पीट वाटर को फिल्टर कर आपूर्ति करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है तथा योजना स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

मुखिया गीता देवी, डुमरा दक्षिण पंचायत बाघमारा द्वारा बताया गया कि डुमरा दक्षिण पंचायत को भी बाघमारा प्रखंड मुख्यालय एवं निकटवर्ती 65 ग्रामों में मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में जोड़ दिया जाय। उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं0 –2, धनबाद को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायत को मेगा ग्रामीण जलापूर्ति में शामिल कर लिया जाय।

उपायुक्त द्वारा नगर निगम/नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं पार्षदों को भी न्यास परिषद की बैठक में आमंत्रित करने हेतु सरकार से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

11/4/2017	11/04/2017	11/4/17
जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद।	उप विकास आयुक्त, धनबाद।	उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0,धनबाद।

ज्ञापांक– 41 दिनांक– 13/04/2017

प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारियों / न्यास परिषद के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

11/4/2017	11/04/2017.	11/4/17
जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद।	उप विकास आयुक्त, धनबाद।	उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0,धनबाद।

Scanned by CamScanner